बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

ज्ञापन

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन कार्यरत श्री संतोष कुमार, तत्कालीन प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, प्रखंड– हाजीपुर, जिला– वैशाली सम्प्रति निलम्बित, मुख्यालय उप निदेशक, खाद्य का कार्यालय, भागलपुर प्रमंडल भागलपुर के विरूद्ध राशन कार्डधारियों के कार्ड में किरासन तेल की प्रविष्टि नहीं करने, किरासन तेल आवंटन संबंधन एवं वितरण के पर्यवेक्षण में अनियमितता बरतने एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, हाजीपुर द्वारा जाँच के समय कोई ठोस स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करने संबंधित आरोप के आलोक में आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित किया गया है । उक्त आरोप पत्र प्रपत्र 'क' के आलोक में श्री कुमार के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–17 के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया जाता है ।

2. श्री कुमार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने हेतु उप निदेशक, खाद्य, भागलपुर प्रमंडल भागलपुर को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है ।

3. संचालन पदाधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि आरोपी पदाधिकारी को आरोप पत्र प्रपत्र–'क' एवं साक्ष्यों की एक प्रति अपने स्तर से तामिला कराते हुए तीन माह के अन्दर विभागीय कार्यवाही पूरी कर जाँच प्रतिवेदन निश्चित रूप से उपलब्ध करा देंगे ।

4. जिला आपूर्ति पदाधिकारी, भागलपुर को साक्ष्य उपस्थापन पदाधिकारी, नियुक्त किया जाता है ।

5. आरोपी पदाधिकारी को यह निदेश दिया जाता है, कि आरोप पत्र प्राप्त होने के 15 दिनों के अन्दर आरोपों के संदर्भ में अपना पक्ष संचालन पदाधिकारी के समक्ष अवश्य समर्पित कर देंगे ।

ह0/–
(चन्द्रशेखर)
सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक–प्र08गो0आ0(वैशाली)–31/2018 4618 /खाद्य,पटना/दिनांक 24/09/18

प्रतिलिपि– जिला पदाधिकारी, वैशाली/अपर सचिव, वरीय प्रभारी, प्रखाखा–03, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना/ उप निदेशक, खाद्य, भागलपुर प्रमंडल भागलपुर –सह–संचालन पदाधिकारी (आरोप पत्र प्रपत्र 'क' एवं साक्ष्य की दो प्रति के साथ)/ जिला आपूर्ति पदाधिकारी, भागलपुर –सह–साक्ष्य उपस्थापन पदाधिकारी (आरोप पत्र प्रपत्र 'क' एवं साक्ष्य की एक प्रति के साथ)/उप निदेशक खाद्य, भागलपुर प्रमंडल भागलपुर /आई0टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा श्री संतोष कुमार, तत्कालीन प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, प्रखंड– हाजीपुर, जिला– वैशाली सम्प्रति निलम्बित, मुख्यालय उप निदेशक, खाद्य का कार्यालय, भागलपुर प्रमंडल भागलपुर को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

19/IX/XVIII

सरकार के अपर सचिव ।

D:\backup\Year_2016(PK)\section_8(PK) 2016\0lT_ord .doc